

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/82/2017

दिनांक : 2 नवम्बर, 2017

प्रेस नोट

विषय - सेवा कार्मिकों से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग की नए-सिरे से तैयारी।

सेवा कार्मिकों से संबंधित नई एवं शुद्ध निर्वाचक नामावली तैयार करने की दृष्टि से, आयोग ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 01 जनवरी, 2017 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग को नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया था। इस विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत, पहली बार सेवा कार्मिकों में पंजीकरण के लिए सभी कार्य-संपादन उनके संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से समर्पित सेवा मतदाता पोर्टल पर किए गए थे। इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, रिकॉर्ड अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सेवा कार्मिकों के विवरणों से संबंधित एक्सएमएल फाइल 25 सितम्बर, 2017 तक सेवा मतदाता पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसके आधार पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 को अंतिम भाग का प्रारूप प्रकाशन किया गया था। सभी सेवाओं विशेष कर भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आसाम राइफल्स, भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस, एमईए और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इस प्रक्रिया में अच्छा कार्य किया है। प्रारूप नामावली में सेवा कार्मिकों के 17,60,392 नाम शामिल थे।

चूंकि रिकॉर्ड अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अभ्यर्थी सेवा कार्मिक के संदर्भ में प्रपत्रों एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप दिए जाने हेतु एक विधिक आवश्यकता है, इसलिए, रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों से विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित फार्मों और घोषणाओं को 22 अक्टूबर, 2017 तक अपलोड करने के लिए कहा गया था।

सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के आखिरी भागों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को किया गया था। एसएसबी, एमईए, भारतीय सेना, सीआरपीएफ एवं आसाम राइफल्स के लिए काफी पंजीकरण हुए हैं।

नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् आयोग ने उन लम्बित फाइलों के संदर्भ में रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा सेवा मतदाता पोर्टल पर फार्मों को अपलोड करने के लिए अनुमति दे दी है, जिनको अंतिम प्रकाशन से पहले अपलोड नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी कहा गया है कि वे छूटे हुए उन सेवा कार्मिकों के हस्ताक्षरित फार्मों सहित एक्सएमएल फाइलें भी प्रस्तुत करें जो हाल ही में सम्पन्न हुई डी-नोवो एक्सरसाइज़ के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे।

आयोग ने विभिन्न बलों के नियंत्रक प्राधिकारियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे गुजरात से संबंधित सेवा कार्मिकों को प्राथमिकता दें ताकि आगामी साधारण निर्वाचनों में वे अपने वोट डालने के अवसर का लाभ उठा सकें।

(पवनदीवान)

अवर सचिव